संख्या-1069/22-4-09-48(1)/05

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक- 21 मई,2010

विषयः- नवसृजित जनपद श्रावस्ती में जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम हल्लाजोत परगना व तहसील भिनगा में अधिग्रहीत की जाने वाली कृषकों की 21.167 हेक्टेयर भूमि के प्रतिकर की 70 प्रतिशत धनराशि एवं पुनर्वास नीति के तहत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक, कारागार के पत्र संख्या-13277/नम-4(58) दिनांक-30.04.2010 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1045/22-4-2009-48(1)/05 दिनांक-04.08.2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार श्रावस्ती के निर्माण हेतु ग्राम हल्लाजोत परगना व तहसील भिनगा जनपद श्रावस्ती में कृषकों की 21.167 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अर्जन अधिनियम-1894 की धारा-4(1)/17 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-296/22-4-2010-48(1)/05 दिनांक-19.02.2010 के आलोक में प्रतिकर की 70 प्रतिशत धनराशि रु0-1,32,75,001.00 (रूपये-एक करोड़ बत्तीस लाख पचहत्तर हजार एक मात्र) एवं पुनर्वास नीति के तहत रु0-53,87,500.00 (तिरपन लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र) अर्थात कुल रू0-1,86,62,501.00 (रूपये एक करोड़ छियासी लाख बासठ हजार पॉच सौ एक मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस श[illegible] साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि चयनित भूमि का क्षेत्रफल आवश्यकता/निर्धारित मानक के सीमान्तर्गत होने तथा प्रतिकर हेतु आकलित धनराशि नियमानुसार उपयुक्त होने के विषय में सुनिश्चित होने का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-09-नवसृजित जनपदों में कारागार के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा और उक्त मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1187/दस-2010 दिनांक- 20 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

P.T.O

संख्या-1069(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा
अनु सचिव।